

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग)

25 फरवरी, 2026 ई०

संख्या 301/XXXi(15)G/2026-13(सा०)/2025—चूंकि, केंद्रीय सरकार, द्वारा अधिसूचना सं०-89, दिनांक 7 जनवरी, 2026 में अधिसूचित किया गया है कि जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119(अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा;

2. और चूंकि, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 8 जनवरी, 2026 में यह अनुरोध किया गया है कि, समय-समय पर संशोधित, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iii) के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित मकानसूचीकरण के कार्य की अवधि अधिसूचित की जानी आवश्यक है;

3. अतः अब राज्यपाल, जनगणना नियम के नियम 8(iii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में जनगणना 2027 से सम्बन्धित घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य दिनांक 25 अप्रैल, 2026 से दिनांक 24 मई, 2026 तक सम्पादित किया जाएगा तथा स्व-गणना के लिए भी विकल्प होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने की अवधि से ठीक पहले 15 दिन की समयावधि अर्थात् दिनांक 10 अप्रैल, 2026 से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 में संचालित किया जायेगा।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव।

(2)

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-301/XXXI(15)/2026-13(सा०)/2025, Dated- February 25, 2026 for general information.

February 25, 2026

No. 301/XXXVI(15)/2026-13(सा०)/2025-Whereas, the Central Government has notified vide Notification No.89, dated 7th January, 2026 that in exercise of the powers conferred by Section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 119(E), dated the 7th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2027 shall take place between 1st April, 2026 and 30th September, 2026 in all States and Union territories in India during the period of thirty days specified by each State and Union territory;

2. And whereas, the Registrar General & Census Commissioner India has requested in his letter dated 8th January 2026, that as per rule 8(iii) of the Census Rules, 1990, as amended from time to time, the period of houselisting operations (HLO) concerning the State/UT needs to be notified;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred under rule 8(iii) of the Census Rules 1990, the Governor declares that house to house Houselisting Operations shall be conducted from 25th April, 2026 to 24th May, 2026 in the State of Uttarakhand and there shall also be an option for self enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period i.e. from 10th April, 2026 to 24th April, 2026 just before the start of house to house houselisting operations of thirty days.

By Order,

ANAND BARDHAN,

Chief Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 14-03-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 सा० प्रशा०/124-25-04-2026-20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)